

प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021

महोदयजी,

रिपोर्ट नं. 1752 - गणेशपुरा

निवेदन है कि ग्राम देवनगर के खता संख्या 17, 52 में जमीन का नाम मोहन पिता रूपचन्द धारुद दर्ज है। जहाँ आधी भाग (नर्स अनुमाल मोहनलाल पिता रूपचन्द धारुद दर्ज) का नामांकन प्राप्त है। उक्त मोहन पिता रूपचन्द के लिये मोहनलाल पिता रूपचन्द धारुद दर्ज किया जाना उचित है।

31-10-21

रिपोर्ट नं. 1752 - गणेशपुरा

मुताबिक रिपोर्ट नं. 1752 में मोहन पिता रूपचन्द के लिये मोहनलाल पिता रूपचन्द दर्ज किया जाना उचित है।

31-10-21

रिपोर्ट नं. 1752 - गणेशपुरा

क्रमांक/सं. 21/06

दिनांक 1-11-2021

महोदयजी, रिपोर्ट नं. 1752 - गणेशपुरा व ख. सं. 17, 52 में मोहन पिता रूपचन्द के लिये मोहनलाल पिता रूपचन्द दर्ज करने की अनुमति दी जाती है।

तहसीलदार

आदेश

के.एस.एस.पी. काठिया
तहसील विजीलियां जिला-बीलवाड़ा

परवारी पं. नं. 1752 व ख. सं. 17, 52 में मोहन पिता रूपचन्द की जमीन का आधी भाग (नर्स अनुमाल मोहनलाल पिता रूपचन्द धारुद दर्ज) का नामांकन प्राप्त है। उक्त मोहन पिता रूपचन्द के लिये मोहनलाल पिता रूपचन्द दर्ज किया जाना उचित है।

प्रशासकीय अधिकारी
गणेशपुरा
31-10-21

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, विजौलियां
(पीठासीन अधिकारी, प्रशासन गांवों के संग अभियान, 2021 कैम्प कोर्ट)
कैम्प कोर्ट का स्थान...खदारागम, जी.फा. जे.ड.

आदेश:-

प्राथी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी शिविरापुर की मु.अ.नि. उमाजीका जे.ड. की रिपोर्ट तथा तहसीलदार विजौलियां की अनुसंधान के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसार न. नं. देवतगर तहसील विजौलियां जिला की जमाबन्दी संख्या 2073-2076 में खाता संख्या 17, 52 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि का निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं -

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1.	देवतगर (गणेशपुर)	17, 52	भौहन पुत्र रूपा जाति - धाकड़ अंकित है।	भौहनलाल पुत्र रूपचन्द धाकड़ किया जाता है।



(सौमा नि. अधिकारी)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021
पदेन सहायक कलक्टर
विजौलियां

क्रमांक :-

विवरण - 187/2021

दिनांक :-

1. तहसीलदार, विजौलियां को भेजकर ज्ञापित है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवावे।
2. प्राथी श्री भौहनलाल पुत्र रूपचन्द धाकड़ नि. शिविरापुर को सूचनाार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021
पदेन सहायक कलक्टर
विजौलियां